झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या 2028 वर्ष 2020

दीपिका तिग्गा .... याचिकाकर्त्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य द्वारा मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, धुर्वा, रांची।

2. उपायुक्त, रांची।

3. अपर समाहर्ता, रांची।

4. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रांची।

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री ए0के0 सहानी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री वरूण प्रभाकर, जी0पी0–III के ए0सी0

04/06.01.2021 वर्तमान रिट याचिका को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर, कार्यालय द्वारा बताया गया, दोष को नजरअंदाज किया जाता है।

श्री ए0के0 सहानी, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वर्तमान रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 5 के रूप

में गलत तरीके से जोड़ा गया है। वह, तद्नुसार, पार्टियों के सूची से प्रतिवादी संख्या 5 को हटाने के लिए प्रार्थना करता है।

उक्त निवेदन के मद्देनजर, प्रतिवादी संख्या 5 को रिट याचिका के कारण शीर्षक से हटा दिया जाए।

वर्तमान रिट याचिका उत्तरदाता संख्या–4 जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रांची पर निर्देश जारी करने क लिए दायर की गई है कि आर0एस0 प्लॉट संख्या 1369 के अन्तर्गत आर0एस0 प्लॉट संख्या 1170, 1171, 1172, 1173 और 1174 के मौजा–कोका, जिला–रांची में 8 डिसमिल के क्षेत्रफल के भूमि के साथ–साथ उक्त भूमि के उस हिस्से पर खड़े भवन/संरचना के लिए जो कांटाटोली फ्लाईओवर, रांची के निर्माण के उद्देश्य से अधिग्रहित किया जा रहा है, का मुआवजा को निर्धारित करें।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि रांची नगर निगम के वार्ड संख्या 4 के भीतर स्थित आर0एस0 प्लॉट संख्या 1170, 1171, 1172, 1173 और 1174 से संबंधित भूमि बंधु उरांव और अन्य के नाम पर दर्ज है। याचिकाकर्त्ता दर्ज काश्तकार के कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक है और उसका नाम भी राजस्व अभिलेख में बदल दिया गया है। वह विचाराधीन भूमि/भवन के लिए लागू करों का भुगतान भी रांची नगर निगम को कर रही है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के अन्तर्गत (तत्पश्चात् इसे अधिनियम 2013 के द्वारा संदर्भित किया जायेगा) कांटाटोली फ्लाईओवर, रांची के निर्माण

हेतु भूमि अर्जन हेतु अधिसूचना जारी होने के बाद अजय पाण्डेय और अन्य को अधिनियम 2013 की धारा 37 (2) के अन्तर्गत दिनांक 3 मई 2018 को नोटिस जारी किया गया था जिसमें उन्हें जिला भूमि अर्जन प्रशाखा, रांची समाहरणालय के समक्ष भूमि अर्जन वाद संख्या 22 वर्ष 2016–17 में प्रतिकर प्राप्ति हेतु उपस्थित होने को कहा गया था। उक्त नोटिस जारी होने से पहले, याचिकाकर्त्ता ने प्रतिवादी संख्या 4 के कार्यालय में एक आवेदन दिया था कि उसका नाम अजय पांडे के स्थान पर उल्लेख किया जाना चाहिए था, जो विचाराधीन भूमि के हिस्से के अनुमेय कब्जे में है। याचिकाकर्त्ता की शिकायत यह है कि प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष आवश्यक फॉर्म भरने और संबंधित दस्तावेज जमा करने के बाद भी, याचिकाकर्त्ता के प्रश्नगमत भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा प्राप्त करने के दावे के संबंध में उक्त प्रतिवादी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री वरूण प्रभाकर, विद्वान जी0पी0–III के ए0सी0 ने उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित होकर कहा है कि चूंकि वर्तमान मामले में तथ्यात्मक निर्धारण की आवश्यकता है, यदि याचिकाकर्त्ता प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष वर्तमान मुद्दे पर एक नया अभ्यावेदन देता है, तो उक्त प्रतिवादी द्वारा एक उचित निर्णय लिया जाएगा।

पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और वर्तमान रिट याचिका में की गई प्रार्थना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मामले की योग्यता में प्रवेश किए बिना, याचिकाकर्त्ता को प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष वर्तमान मुद्दे पर प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एक नया अभ्यावेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता दी जाती है। उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, संबंधित अभिलेख को मंगवाने के बाद और याचिकाकर्त्ता/उसके प्रतिनिधि को

सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद प्रतिवादी संख्या 4, कानून के अनुसार अभ्यावेदन दाखिल होने के तीन महीने की अवधि के भीतर एक उचित सूचित निर्णय लेगा।

रिट याचिका, तद्नुसार, पूर्वोक्त स्वतंत्रता और निर्देश के साथ निपटाया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)